

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक0प्र0क0-343 / 11
संस्था0दि0 12 / 10 / 11
फाईलनं.233504000472011

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

:- विरुद्ध :-

1. हेमन्त पिता पूनमचंद जैन, उम्र 33 वर्ष,
2. ऋषभ पिता पूनमचंद जैन, उम्र 36 वर्ष,
3. पूनमचंद पिता बाजीराव जैन, उम्र 66 वर्ष,
4. मोनिका पिता पूनमचंद जैन, उम्र 28 वर्ष,
5. पद्मा पति पूनमचंद जैन, उम्र 55 वर्ष,
 उक्त सभी:-जाति जैन, नि0 आमला,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

----- **अभियुक्तगण**

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 23 / 08 / 2016 को घोषित)

1- अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-3/4 के तहत अभियोग है कि दिनांक 11.08.11 तक फरियादी के ससुराल आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी नीरजा जैन का पति एवं पति का नातेदार होते हुये फरियादी से दहेज की मांग कर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता की, आपने फरियादी निरजा जैन से दहेज के रूप में एक लाख रुपये देने के लिए दुष्प्रेरित किया।

2- प्रकरण में आदेश पत्रिका दिनांक 15/07/16 को अभियुक्त और फरियादी नीरजा जैन के बीच राजीनामा होने से आपसी राजीनामा आवेदन पत्र पेश किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-3/4 का अपराध राजीनामा योग्य न होने से अभियुक्त का राजीनामा आवेदन पत्र निरस्त किया गया।

3- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी शाहपुर में उसके पिता मोतीलाल जैन के पास रह रही है। दिनांक 28.06.2010 को उसके पिताजी ने उसकी शादी ऋषभ जैन निवासी आमला के साथ हिन्दू रिति रिवाज से की थी। शादी में 3 लाख रुपये नगद दहेज का सभी सामान दिया था। शादी के बाद जब करीब 8-10 दिन बाद ससुराल गई तो सास तथा ससुर कहने लगे कि दहेज में 5 लाख रुपये नगद तय हुए थे, अब बाकी 2 लाख रुपये मायके वालों से लेकर आ, तब उसने पिताजी को खबर भेजी

तब राखी पर पिताजी 1 लाख रुपये नगद पति ऋषभ जैन को दिये। फिर राखी के एक माह उसके मायके छोड़ गये, पति छोड़ने आये थे बोले 1 लाख रुपये हो जाये तब ले जाउंगा, उसके बाद उसके पति ससुराल ले गये, पैसे की व्यवस्था नहीं होने से उसके पति, सास, ससुर ने मकान के उपर कमरों में अलग रखा। उस दौरान उसके पति मारपीट कर तथा देवर हेमन्त, ननंद मोनिका मानसिक रूप टार्चर कर परेशान करने लगे। वह बीमार हो गई तो उसने घर वालों को खबर किया तो उसकी बहन उसके पास गई तो वह ससुराल वालों की मर्जी से मायके आ गई।

4- कुछ दिन बाद उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया, तब वह उसके पिताजी व चाचा अनिल के साथ ससुराल आमला गई, तो उसकी सास पद्मा, ससुर पूनम, पति ऋषभ जैन ने घर में नहीं घुसने दिया, उसका सामान सड़क पर फेंक दिया और बोले कि वह उसे नहीं रखता तो उसने कहा कि उसके पेट में बच्चा है। उसे यहीं रहना है पति तो पति व देवर ने धक्का देकर सड़क पर कर दिया और बोले पहले 1 लाख रुपये लेकर आ, तभी घर में घुसने दूंगा। सास, ससुर भी कहने लगे कि वह लडके की दूसरी शादी करेंगे और उसे घर में नहीं रहने दिया, उसकी साड़ी कपड़े उसकी ननंद ने जला दिया था। उसका मोबाईल भी तोड़ दिया। दहेज में पूरे 5 लाख रुपये न देने के कारण शादी के बाद से अभी तक उसके ससुराल वालों द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। मैं सभी के विरुद्ध कार्यवाही चाहती हूँ रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जावे।

5- फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई जो प्र0पी0 2 है जो दो पृष्ठ में है। जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 205/11 भा.द. सं. धारा-498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा- 3, 4 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया, अभियुक्तगण को गिरफ्तार गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

6- अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वे निर्दोष हैं उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

7- : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1-“क्या दिनांक 11.08.11 तक फरियादी के ससुराल आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी निरजा जैन का पति एवं पति का नातेदार होते हुये फरियादी से दहेज की मांग कर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता की?”

2-“ उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी निरजा जैन से दहेज के रूप में एक लाख रुपये देने के लिए दुष्प्रेरित किया?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

विचारणीय प्रश्न क0 1, 2 का निराकरण

8— सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न क्रं. 1, 2 का निराकरण साथ में किया जा रहा है। क्योंकि प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हों।

9— अभियोजन साक्षी निरजा जैन (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपी हेमन्त उसका देवर, आरोपी ऋषभ उसका पति, पूनमचंद उसका ससुर, मोनिका उसकी नंद पद्मा उसकी सास है। उसका विवाह आरोपी ऋषभ के साथ दिनांक 28 जून 2010 को आमला में सम्पन्न हुआ था। शादी के बाद वह ससुराल आमला में रहने लगी थी। घरेलू बातों को लेकर आरोपीगण उससे विवाद करते थे। आरोपीगण ने उससे दहेज की मांग नहीं की थी ना ही दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया था। शासन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचन प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने कंडिका 3 में यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है कि शादी के 8-10 बाद से आरोपीगण उससे दहेज की मांग करने लगे थे और दहेज में 2 लाख रुपये की मांग करने लगे थे। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि 1 लाख रुपये देने के बाद दोबारा आरोपीगण 1 लाख रुपये की मांग करने लगे थे। आगे यह भी अस्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसे निरंतर अगल-अलग बातों को लेकर अत्यधिक प्रताड़ित किया था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था और कहा था कि उसके घर से 1 लाख रुपये लेकर आवो, तभी घर में रखेंगे। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-2 का सी से से भाग एवं पुलिस कथन प्र0पी0-3 का ए से ए भाग लेख कराई थी।

10— आगे इस गवाह ने कंडिका 4 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण के साथ राजीनामा हो गया है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि वह पुरानी सब बातों को भूलकर उसके पति के साथ उसके बच्चे के साथ रही है। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि वह और उसके पति साथ में रहने लगे हैं इसलिए वह आरोपीगण से राजीनामा कर रही है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में यह स्वीकार किया है कि आरोपी उसका पति और वह उसके पति के वैवाहिक जीवन के दाम्पत्य का निर्वहन के साथ निवास कर रही है। वह इस प्रकरण में उसके पति देवर, ननंद, सास, ससुर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में फरियादी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित करने तथा फरियादी से दहेज के रूप में एक लाख रुपये देने के लिए दुष्प्रेरित किया, वाली बात नहीं बताई है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0दं0वि0 की धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-3/4 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

11— अभियोजन साक्षी राजकुमार (अ0सा0-1) ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

12— अभियोजन साक्षी शिवबहादुरसिंह (अ0सा0-2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 30.07.2011 को पुलिस थाना आमला में ए.एस.आई के पद पर पदस्थ था, उसी दिनांक को प्रार्थिया निरजा जैन द्वारा थाने में आकर आरोपी ऋषभ जैन, पूनमचंद जैन, हेमन्त जैन, एवं मोनिका जैन के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-2 लेख किया,

जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने प्रार्थिया निरजा जैन के बयान उसके बताये अनुसार लेख किया था जिसमें उसने कुछ जोड़ा या छोड़ा नहीं था। यह गवाह प्रथम सूचना प्रतिवेदन का गवाह है। प्रकरण की फरियादी निरजा जैन ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया है और उसके साथ घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में उक्त गवाह के द्वारा की गई कार्यवाही महत्वहीन हो जाती है।

13— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी निरजा जैन का पति एवं पति का नातेदार होते हुये फरियादी से दहेज की मांग कर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता की। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी निरजा जैन से दहेज के रूप में एक लाख रुपये देने के लिए दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

14— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी निरजा जैन का पति एवं पति का नातेदार होते हुये फरियादी से दहेज की मांग कर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी निरजा जैन से दहेज के रूप में एक लाख रुपये देने के लिए दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार अभियुक्तगण हेमन्त, ऋषम, पूनमचंद, मोनिका, पद्मा को भा0द0वि0 की धारा-498 “ए” एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-3/4 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15— अभियुक्तगण के धारा-313 द0प्र0स0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्तगण का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

16— प्रकरण में जप्त शुदा सामाग्री कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0